

न्यायालय : कु. मधुलिका मुले, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना (म.प्र.)

क्रमांक / 1570 / 2025

जिला गुना, दिनांक 30.10.2025

— :: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश माह नवम्बर+दिसम्बर 2025::—

माह नवम्बर+दिसम्बर 2025 के अधोलिखित सार्वजनिक अवकाशों में गुना जिला एवं आरोन, राघौगढ, चांचौड़ा तहसील न्यायिक स्थापना पर अत्यावश्यक प्रकृति के आपराधिक कार्य संपादन हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की रिमाण्ड ड्यूटी नियत की जाती है। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा निम्नानुसार सार्वजनिक अवकाश दिवस को **दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे** के मध्य रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी।

— :: जिला न्यायिक स्थापना—गुना ::—



	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह नवम्बर 2025	माह दिसम्बर 2025
1	सुश्री मधुलिका मुले	01-11-2025	-
2	श्री डालचंद	-	06-12-2025 07-12-2025
3	श्री सुरेश बारगीया	-	25-12-2025 28-12-2025
4	श्री चेतन बजाड़	09-11-2025	14-12-2025
5	श्री राजकुमार तोरनिया	23-11-2025 30-11-2025	-
6	श्रीमती श्रुति चौहान	15-11-2025 16-11-2025	-
7	श्री यश दुबे	02-11-2025 05-11-2025	-
8	सुश्री आयुषी मित्तल	-	20-12-2025 21-12-2025

— ::तहसील न्यायिक स्थापना-आरोन ::—

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह नवम्बर 2025	माह दिसम्बर 2025
1	श्री बुदे सिंह सोलंकी	01-11-2025 02-11-2025 05-11-2025 09-11-2025 15-11-2025 16-11-2025 23-11-2025 30-11-2025	06-12-2025 07-12-2025 14-12-2025 20-12-2025 21-12-2025 25-12-2025 28-12-2025

— ::तहसील न्यायिक स्थापना- राघौगढ़ ::—

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह नवम्बर 2025	माह दिसम्बर 2025
1	श्री संजीव पिपलादिया	15-11-2025 16-11-2025 23-11-2025	06-12-2025 07-12-2025
2	श्री आशीष शर्मा	05-11-2025 30-11-2025	20-12-2025 21-12-2025 25-12-2025
3	श्री रवि तंवर	01-11-2025 02-11-2025 09-11-2025	14-12-2025 28-12-2025

— ::तहसील न्यायिक स्थापना-चांचौड़ा ::—

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह नवम्बर 2025	माह दिसम्बर 2025
1	सुश्री प्रियम सेन	05-11-2025 09-11-2025 15-11-2025 16-11-2025	06-12-2025 07-12-2025 25-12-2025
2	श्रीमती डिम्पल कश्यप	01-11-2025 02-11-2025 23-11-2025 30-11-2025	14-12-2025 20-12-2025 21-12-2025 28-12-2025

सामान्य नोट—

- 1— माह नवम्बर+दिसम्बर 2025 के उपरोक्त अवकाशों के अतिरिक्त अन्य किसी दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित होने अथवा रिमांड ड्यूटी हेतु नियुक्ति मजिस्ट्रेट के अवकाश/मुख्यालय छोड़ने की अनुमति स्वीकृत होने अथवा स्थानांतरित होने की दशा में गुना, चाँचौड़ा स्थापना पर उक्त दिनांक की रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन **माह नवम्बर एवं दिसम्बर 2025** कमशः श्री चेतन बजाड/श्री आशीष शर्मा/श्रीमती डिंपल कश्यप द्वारा किया जावेगा।
- 2— आरोन स्थापना पर पदस्थ मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में जिला मुख्यालय पर रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी।
- 3— उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड ड्यूटी सामान्यतः परिवर्तित नहीं की जा सकेगी। किन्तु आकस्मिकता एवं आपवादिक परिस्थितियों में यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी रिमांड परिवर्तित/समाप्त कराना चाहे, तो संबंधित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित पारस्परिक सहमति प्रेषित किये जाने पर, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड ड्यूटी परिवर्तित की जा सकेगी।
- 4— सार्वजनिक अवकाश अवधि में न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दिये जाने का आवेदन प्रेषित करते समय आवेदन में उक्त सार्वजनिक अवकाश में उनकी रिमांड ड्यूटी नियत होने या न होने का स्पष्ट उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- 5— सार्वजनिक अवकाश दिवस में रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक कार्य का संपादन किया जाता है। अतः रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायिक कार्य हेतु गरिमा अनुरूप उचित गणवेश रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान धारित करेंगे।
- 6— समस्त थाना प्रभारी/अनुसंधानकर्ताओं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी से विहित 24 घंटे की समयावधि का अवसान रिमांड ड्यूटी हेतु नियत समय 03.00 बजे के पूर्व समाप्त होने की दशा में उक्त दिनांक को रिमांड ड्यूटी करने वाले न्यायालय के निष्पादक लिपिक से अविलंब संपर्क कर निष्पादक लिपिक के माध्यम से रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट को अवगत कराना तथा रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार रिमांड संबंधी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

विशेष :- यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, गुना के आदेश के अधीन प्रभावशील रहेगा।




(कु. मधुलिका मुले)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 गुना (म.प्र.)

पृ.क.:- १/2025

गुना, दिनांक 30.10.2025

प्रतिलिपि :- (ईमेल-मेसेज द्वारा)

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, गुना की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- जिला/सहायक अभियोजन अधिकारी, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ।
- 5- नाजिर/नायब नाजिर, नजारत अनुभाग गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ।
- 6- पुलिस अधीक्षक, गुना की ओर समस्त थाना प्रभारियों को संसूचित करने बावत्।
- 7- जेल अधीक्षक जिला गुना, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 8- सिस्टम आफिसर/डी.एस.ए./कम्प्यूटर लिपिक न्यायिक स्थापना गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर उक्त आदेश की प्रतिलिपि ई-मेल/मेसेज के माध्यम से संबंधितों को प्रेषित किये जाने हेतु।




(कृ. मधुलिका मुले)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 गुना (म.प्र.)